न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 162/2018

वादीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र पुखराज
2. सम्पतराज पुत्र पुखराज
3. रामनिवास पुत्र पुखराज फौत के कायम मुकाम
   1. जगदीश पुत्र रामनिवास
   2. रेखा पुत्री रामनिवास
   3. दीपिका पुत्र रामनिवास
   4. खूशबु पुत्री रामनिवास
   5. शांतिदेवी पत्नी रामनिवास

जातियान–माली, निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लिछ्मण पुत्र धोकल
2. पोकरराम पुत्र दीपाराम फौत के कायम मुकाम–
   1. तेजाराम पुत्र पोकरराम
   2. गणपत पुत्र पोकरराम
3. जगाराम पुत्र दीपाराम
4. लिखमाराम पुत्र दीपाराम
5. छोटूराम पुत्र दीपाराम फौत के कायम मुकाम–
   1. कमल पुत्र छोटूराम
   2. कालुराम पुत्र छोटूराम
   3. नौरत पुत्र छोटूराम
6. पांचाराम पुत्र दीपाराम
7. भंवरलाल पुत्र जसुराम
8. बद्रीलाल पुत्र जसुराम
9. हजारीलाल पुत्र जसुराम
10. लक्ष्मी पुत्री जसुराम
11. मीरा पुत्री जसुराम
12. रावत पुत्र हीरा फौत के कायम मुकाम–
    1. कालुराम पुत्र रावत
    2. रामपाल पुत्र रावत
    3. दिनेश पुत्र रावत
    4. चम्पादेवी पत्नी रावत

    जातियान–माली, निवासीगण–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
13. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:27/06/2018

उपस्थितः. 1. श्री सुनिल प्रजापति, अविनाश गहलोत अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 29/01/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–जैतारण पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 758 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 760 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 800 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 801 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 802 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 803 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 804 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 38 बीघा आयी हुई है। नकल जमाबंदी साथ पेश है। उपरोक्त खसरान् की कृषि भूमि में वादीगण के दादा हीराराम का 1/2 हिस्सा आता था वह वादीगण के पिता का 1/4 व वादीगण के काका रावतराम का 1/4 हिस्सा आता था जिनकी वंश वंशावली निम्न वादपत्र में अंकित हैं। वादीगण के पिता की मृत्यु होने के पश्चात् प्रत्येक वादीगण का 1/12 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कर हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु मौके पर बंटवाड़ा नही हो रखा है वह राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त भूमि तरमीम नही हो रखी है वादीगण संख्या 3/1 से 3/5 का संयुक्त रूप से उक्त कृषि भूमि 2/2 हिस्सा आता है। वादीगण संख्या 3/1 का 1/20 हिस्सा व वादीगण संख्या 3/2 से

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3/5 का 1/30 हिस्सा आता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 12 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 13 का 1/4 हिस्सा आता है। वादीगण अपनी जमीन को उपजाऊ एवं काश्त योग्य बनाने के लिए व भूमि पर ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाना चाहते है। जिस हेतु वादीगण ने दिनांक 15/06/2018 को प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करवाने से इंकार हो गये व बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट मना कर दिया। जिस कारण यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 14 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से इनको वादपत्र में पक्षकार बनाया है यह बंटवाड़ा के वादपत्र के लिए आवश्यक पक्षकार है। बिनाय वाद दिनांक 15/06/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट मना करने से स्थान से स्थान जैतारण उत्पन्न होता है जो न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है व अन्दर म्याद है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस् तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सममनस् सूचना व तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वाद के समर्थन में वकील वादी ने वादीगण के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये, बाद प्रदर्श सा.मि. किये गये। बहस वकील वादीगण की सुनी गई। वकील वादी ने जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड मेरे हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने की ईस्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा–जैतारण पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 758 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 760 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 800 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 801 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 802 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 803 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 804 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 38 बीघा भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/ कोर्ट/ 2018/900 दिनांक 07/09/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/ भू0अ0/2018/347 दिनांक 08/01/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–जैतारण पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 758 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 6 बीघा 14

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बिस्वा, खसरा नम्बर 760 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 800 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 801 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 802 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 803 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 804 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 38 बीघा भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान (रूपये)
1	रामेश्वरलाल पुत्र पुखराज कौम माली सा.देह खातेदार।	760/1 758/1 801/1	1-14-00 0-09-00 1-00-00	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
	कुल	**3**	**3-03-00**		**1.95**
2	सम्पतराज पुत्र पुखराज कौम माली सा.देह खातेदार।	760 801/3	2-04-00 0-19-00	बा.अ. बा.अ.	
	कुल	**2**	**3-03-00**		**1.95**
3	जगदीश पुत्र रामनिवास रेखा दीपिका खुशबु पिता रामनिवास शांतिदेवी पत्नी रामनिवास कौम माली सा.देह खातेदार।	760/2 758 801/2	1-14-00 0-09-00 1-00-00	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
	कुल	**3**	**3-03-00**		**1.95**
4	लिछ्मण पुत्र धोकल 125/561 तेजाराम गणपतलाल पिता पोकरराम जगाराम लिखमाराम छोट्ूराम पांचाराम पिता दीपाराम अनकी पत्नी दीपाराम 125/561 भंवरलाल बद्रीलाल हजारीलाल लक्ष्मी मीरा पिता जसुराम 125/561 रावत पुत्र हीरा 186/561 कौम माली सा.देह खातेदार।	759 757 758/2 800 801 802 804	6-14-00 1-16-00 0-19-00 5-18-00 2-01-00 5-00-00 5-13-00	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
	कुल	**7**	**28-01-00**		**17.41**
5	लिछ्मण पुत्र धोकल 1/6 तेजाराम गणपतलाल पिता पोकरराम जगाराम लिखमाराम छोट्ूराम पांचाराम पिता दीपाराम अनकी पत्नी दीपाराम 1/6 भंवरलाल बद्रीलाल हजारीलाल लक्ष्मी मीरा पिता जसुराम 1/6 रावत पुत्र हीरा 1/4 रामेश्वरलाल 1/12 सम्पतराज 1/12 पिता पुखराज जगदीश पुत्र रामनिवास 1/20 रेखा दीपिका खुशबु पिता रामनिवास शांतिदेवी पत्नी रामनिवास 1/30 कौम माली सा.देह खातेदार।	803 802/1	0-05-00 0-05-00	गै.मु. बेरा	
	कुल	**2**	**0-10-00**		**0.15**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज0)
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/01/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज0)
जैतारण (पाली)